सितम्बर, 2018 माह में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

* * * * *

केन्द्रीय गृह मंत्री ने छठी अनुसूची में संशोधन, नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने तथा ब्रू लोगों का त्रिपुरा से मिजोरम में प्रत्यावासित किए जाने संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 20.09.2018 को नई दिल्ली में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की।

2. वर्ष 2017 के सूखा (रबी), वर्ष 2017 में कीट हमले और चक्रवात के लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों को प्रदान की जाने वाली केन्द्रीय सहायता हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2018 को उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

3. राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय (एनसीडीसी), नागपुर का विलय करके राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी (एनडीआरएफ अकादमी), नागपुर के सृजन हेतु दिनांक 27.09.2018 को अनुमोदन संसूचित किया गया।

4. आपात कार्रवाई के लिए अत्याधुनिक एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित करने हेतु गृह मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष विभाग ने दिनांक 20.09.2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

5. ब्रू करार के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्रू प्रत्यावासन मॉनीटरिंग समिति की दूसरी बैठक दिनांक 10.09.2018 को आइजोल (मिजोरम) में आयोजित की गई।

6. भारत सरकार, मणिपुर सरकार और यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) के बीच त्रिपक्षीय वार्ता दिनांक 01.09.2018 को मणिपुर के सेनापति जिले में आयोजित की गई।

7. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिले के आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2018 से 31.03.2019 तक छः और माह की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।

8. केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने दिनांक 26.09.2018 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच स्वापक द्रव्यों, मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए परस्पर सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए जाने का अनुमोदन किया।

9. भारत के माननीय राष्ट्रपति ने चार राज्य विधेयकों अर्थात् सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति वितरण विनियमन) (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति वितरण विनियमन) (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2018, अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 तथा भारतीय वन (मणिपुर संशोधन) विधेयक, 2018 को इस माह के दौरान सहमति प्रदान की।

10. शहरी स्थानीय निकायों/पंचायत चुनाव संबंधी ड्यूटियों (जम्मू एवं कश्मीर), जन्माष्टमी, मुहर्रम, गणेश उत्सव त्यौहार, शुक्रवार को इबादत के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी ड्यूटियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के लिए सुरक्षा प्रबंध हेतु विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 481 कंपनियां तैनात की गई।

11. इस माह के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने बड़ी मात्रा में हेरोइन, गांजा, अफीम, कोकीन और अन्य स्वापक पदार्थों को जब्त किया तथा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में तीन विदेशी राष्ट्रिकों सहित 53 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। 23,31,760 रुपए की भारतीय करेंसी भी जब्त की गई।

12. जम्मू जोन में 60 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 22,49,400 रुपए की नकद राशि बरामद की गई तथा 02वाहनों को जब्त किया गया। यह इस वर्ष भारत में किसी भी एजेंसी द्वारा हेरोइन की सबसे बड़ी जब्ती है और इसने मादक द्रव्यों के तस्करों की सांठगांठ को एक्सपोज किया तथा मादक द्रव्यों की तस्करी के उनके प्रयासों को विफल किया।

13. आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए 23 अभियुक्तों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल करने हेतु अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

14. इस माह के दौरान, असम, नागालैंड, सिक्किम, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड राज्य सरकार को 113.36 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत अब तक जारी की गई कुल निधियां 637.98 करोड़ रुपए है।

15. असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का पूरा मसौदा दिनांक 30.07.2018 को प्रकाशित किया गया तथा इस कार्य के अगले चरण अर्थात् दावा एवं आपत्तियों हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार, आरजीआई और राज्य को-ऑर्डिनेटर के परामर्श से तैयार की गई है और इसे अनुमोदन के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल

किया गया है। न्यायालय के निदेश पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 25 सितम्बर, 2018 से आरंभ हो गई है और यह 60 दिनों की अवधि अर्थात् 23 नवम्बर, 2018 तक चलेगी। मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुमोदन के लिए मामले की सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 23.10.2018 नियत की गई है।

* * * * *